झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 67 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मनोज कुमार पाठक
शाँति नगर, पालकोट रोड
पो०+था० - गुमला, जिला-गुमला

बनाम

प्रतिवादी अपर समाहर्त्ता-सह-जिला
शिकायत निवारण पदाधिकारी,
गुमला।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

श्री मनोज कुमार पाठक, पिता–रघुनन्दन पाठक, शांति नगर, पालकोट रोड, पो0+थाना–गुमला, जिला–गुमला का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्रधानाघ्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, पतिया, गुमला का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। अपीलकर्ता द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय पतिया के छात्रो को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायत में DGRO, गुमला द्वारा दिनांक–25.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दर्ज की गई है।

उल्लेखनीय है कि DGRO, गुमला द्वारा दिनांक–25.11.2022 को पारित आदेश में प्रधानाध्यापक के विरूद्ध 5,000 रु० का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्राप्त अपील आवेदन के आलोक में DGRO, गुमला को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।

इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–16.01.2023 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–16.01.2023 अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–67 / 2022

16.01.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

आयोग की सुनवाई में अपीलकर्ता, श्री मनोज कुमार पाठक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री दिलिप कुमार प्रसाद एवं श्री किशोर कुमार मिश्रा उपस्थित हुए, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला सुनवाई में उपस्थित रहे। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का आदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है। विद्वान अधिवक्ता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस आशय की भी जानकारी दी है कि एक ओर जहाँ 30 दिनों के अन्दर सुनवाई पूरी करने या विशेष परिस्थिति में उपायुक्त से अवधि विस्तार कराने के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया। दूसरी ओर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने आर्थिक दण्ड अधिरोपित कर दिया जबकि आयोग को इस आशय की अनुशंसा करने का प्रावधान है। इन दो बिन्दुओं के अलावे विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक एवं लिखित तौर पर इस बात की जानकारी दी कि जिन आरोप के आधार पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 5000 / – रू0 का दण्ड अधिरोपित किया है, उसी आरोप में अपीलकर्ता–सह–प्रधानाध्यापक को दोषी मानते हुए उनके एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगाई जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि एक ही आरोप में दो सजा देना न तो प्राकृतिक प्रावधान के अनुकूल है और न ही संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल है।

आयोग विद्वान अधिवक्ता से यह अपेक्षा करता है कि वे 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त के अलावे अन्य वैधानिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखित जवाब दाखिल करें एवं उसकी एक प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी प्रेषित कर दिया जाए। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि अपीलकर्ता–सह–प्रधानाध्यापक, श्री मनोज कुमार पाठक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रेषित तथ्यों के विरूद्ध अपना पक्ष आयोग को प्रेषित करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–20.02.2023 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई की तिथि सभी पक्षों को उपलब्ध करा दिया जाए।

16.1.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
20.02.2023	**वाद संख्या–67 / 2022** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। पिछले सुनवाई में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को लिखित पक्ष आयोग में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था। आयोग के अभिलेख में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का लिखित पक्ष उपलब्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित पक्ष में इस बात का उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध एक ही अपराध के लिये दो दण्ड दिया गया है, जो भारतीय संविधान की धारा–20 (2) के खिलाफ है। क्योंकि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। आयोग विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तथ्यों पर सहमत है। इस बीच Telephonic conference के माध्यम से हो रहे सुनवाई में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला ने भी यह माना है कि NFSA में की गई कार्रवाई में अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु निदेश निर्गत नहीं किया गया था। ऐसे में आयोग अपीलकर्ता के इस आग्रह से सहमत है कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला द्वारा दिनांक–25.11.2022 को पारित आदेश निरस्त किया जाय। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला द्वारा दिनांक–25.11.2022 को पारित आदेश को निरस्त करता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	